



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072024-255548
CG-DL-E-19072024-255548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2728]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946

No. 2728]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

का.आ. 2865 (अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतत्तद्वारा भारत के राजपत्र [असाधारण, II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 4501(अ.), दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 [अधिसूचना संख्या 89क/2023/फा. सं.500/पीएफ11/एस10/(23चड.)/एफटी एंड टीआर-II(2)] में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को तथा 1 अप्रैल 2024 से सिवाय उन कार्यों को जो किए गए हैं अथवा किए जाने के लिए छोड़ दिए गए हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में अंक, अक्षर तथा शब्द "31 मार्च 2024" के स्थान पर, अंक, अक्षर तथा शब्द "31 मार्च 2025" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 90/2024/फा.सं.500/विविध/एस10(23चड.)/एफटी&टीआर-II]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी:—प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(ii) में, का.आ. सं. 4501(अ.) दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था तदनन्तर, अधिसूचना सं. का.आ. 64(अ.) दिनांक 04 जनवरी, 2024, के तहत संशोधित किया गया था।